



उत्तराखण्ड वन विकास निगम (शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून 248001 दूरभाष 0135-2657610, फ़ैक्स 0135-2655488

पत्रांक ए0 – 2071

/रायल्टी निर्धारण (2016-17)

/दिनांक:- 12, जुलाई 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कार्ययोजना उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

विषय:- वर्ष 2016-17 की रायल्टी दरों का निर्धारण।

महोदय,

वर्ष 2016-17 में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित लौटों की रायल्टी निर्धारण हेतु अंकेक्षित बैलेन्शीट के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विक्रय की गई वनोपज की प्रजातिवार विक्रय मूल्य के आंकड़े संलग्नकर निम्न विवरणानुसार भेजे जा रहे हैं:-

- | | | |
|-----|---------|--|
| (अ) | सारणी-1 | पश्चिमी वृत्त। |
| | सारणी-2 | उत्तरी एवं दक्षिणी कुमाँऊवृत्त। |
| | सारणी-3 | पश्चिमी वृत्त की खटीमा एवं सुरई रेंज। |
| | सारणी-4 | गढ़वाल/शिवालिक वृत्त के सामाजिक वानिकी क्षेत्र। |
| | सारणी-5 | शिवालिक वृत्त आरक्षित वन क्षेत्र तथा लैन्सडाउन के चौड़ी पत्ती वाले आरक्षित वन क्षेत्र। |
| | सारणी-6 | गढ़वाल/भागीरथी/यमुना वृत्त (लैन्सडाउन के चौड़ी पत्ती वाले आरक्षित वन क्षेत्र के अतिरिक्त।) |
| | सारणी-7 | कोमल काष्ठ प्रजातियों की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु) |

- (ब)
1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के क्षेत्रवार, प्रजातिवार विक्रय का विवरण (2015-16)
 2. वन विभाग के वृत्तवार बाजार मूल्य का तुलनात्मक विवरण (वर्ष, 2014-15 एवं 2015-16)

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि शासनादेशों में निहित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2016-17 की रायल्टी निर्धारण कराने का कष्ट करें।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए पेपर मिलों को रू0:- 4240.00 प्रति घ0मी0 की दर से यूकेलिप्टिस प्रकाष्ठ का आवंटन किया गया है। अतः शासनादेशानुसार निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर वर्ष, 2016-17 के लिए यूकेलिप्टिस प्रकाष्ठ की रायल्टी दर रू0 1833.00 प्रति घ0मी0 निर्धारित करने हेतु आंगणन किया गया है।

शासनादेशानुसार रायल्टी निर्धारण हेतु गणना, शासनादेश तथा वर्ष, 2016-17 हेतु यूकेलिप्टिस प्रकाष्ठ आवंटन दरों की छाया प्रतियाँ संलग्नकर प्रेषित की जाती है। रायल्टी निर्धारण हेतु संलग्न विवरण की वन विकास निगम की वेबसाईट www.uafdc.in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक ए0:- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- शासनादेश संख्या-507/X-3-2013-8(27)2010 दिनांक 27.6.2013 के क्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तराखण्ड।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन/वित्तीय प्रबन्धन।
4. मुख्य वन संरक्षक कुमाँऊ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. मुख्य वन संरक्षक प्रशासन, उत्तराखण्ड।
7. वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त/गढ़वाल वृत्त/शिवालिक वृत्त/उत्तरी कुमाँऊ वृत्त/भागीरथी वृत्त/यमुना वृत्त उत्तराखण्ड।
8. संयुक्त सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त नियंत्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड।

संलग्नक :- यथोपरि

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक